अंतर्गत "सभी क्षेत्रों में गरीब" आ जाते हैं, लागू होने के साथ ही संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत "पिछड़े क्षेत्रों में सभी " पर जोर दिया गया है, निरर्थक हो जाएगी। तथापि, चूंकि इन क्षेत्रों के तहत आमतौर पर कठिन भू-क्षेत्र अर्थात् दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, सूखा प्रवण क्षेत्र तथा रेगिस्तानी इलाके आते हैं, अतः इन क्षेत्रों में उपयुक्त आधार ढांचा तैयार करने पर हमेशा बल दिया जाता रहेगा।

केंद्रीय सरकार गोदामों का निर्माण करने तथा उचित दर दुकानों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए चलती-फिरती उचित दर दुकानों के रूप में इस्तेमाल के लिए ट्रक/वैन क्रय करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है।

Allocation of palmolein oil to Andhra Pradesh

4467. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the Government of Andhra Pradesh has requested for allocation of Palmolein OIl at the level of 7000 MTs per month from January, to July, 1997 and at 16300 MTs per month for the festival months of August to November, 1997 in view of large scale damage of groundnut edible oil due to the cyclonic storm and heavy rains; and

(b) if so, the allocations made in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE, MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) Government's edible oil imports for PDS during 1996 were over in the month of October. The PDS edible oil import programme for 1997 has not yet been finalised. Hence no allocation of imported palmolein has been made in favour of Andhra Pradesh from November, 1996 onwards.

Hiking of Per Unit Allocation of Sugar

4468. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have decided to hike the par unit allcoation of sugar for the Public Distribtuion System by 10 per cent;

(b) if so, the details thereof, with date of effectiveness of such instructions;

(c) whether instructions in this regard have since been issued to all States and Union Territories; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE, MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (d) A 10% ad-hoc increase in the monthly levy quotas of all the States/Union Territories has been allowed from December, 1996 Release orders have already been issued upto May, 1997 accordingly.

बिहार में आवश्यक वस्तुओं का वितरण

4469. **श्री नागमणि:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या बिहार को उसकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) केंद्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं का आवंटन केंद्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर मांग, वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता, मौसमजन्य कारकों, विगत में किए गए आवंटन में से उठान आदि को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है। तथापि, जून, 1997 से चावल और गेहूं के कोटे का आवंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अनुसार गत 10 वर्षों के वार्षिक औसत उठान के आधार पर किया जाता है। लेवी चीनी का आवंटन 1991 की जनगणना के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की एक समान दर पर किया जाता है। मिट्टी तेल के संबंध में उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय औसत स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है जहां प्रति व्यक्ति उपलभ्यता राष्ट्रीय औसत से कम है। जब कभी भी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें तेजी से बढ़ती है, तो केंद्रीय सरकार पामोलीन जैसे खाद्य तेलों का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करके इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित करती है।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में आवश्यक वस्तुओं का आवंटन और उठान संलग्न विवरण दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)।

विवरण से यह देखा जा सकता है कि बिहार को किए गए आवंटन के मुकाबले उठान काफी कम है।

विवरण

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल तथा चीनी का आवंटन व उठान

(हजार मी० टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल		चीनी		मिट्टी का तेल		खाद्य तेल	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1994-95	714.00	222.40	372.00	39.50	407.87	—	588.44	557.70	शून्य	शून्य
1995-96	705.60	227.20	381.60	23.50	426.81	—	606.96	606.48	0.20	शून्य
1996-97	697.60	438.70	389.60	37.60	464.12	—	652.96	597.79	0.70	शून्य

*— उठान शत-प्रतिशत माना गया है।

आ० — आवंटन

उ० — उठान

Maintaining of Vigil over Public Distribution Shops

4470. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether any authority has been given to any agency to keep strict vigil over Public Distribution (P.D.S.) shops in the country;

(b) if so, details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether NGO's can have such vigilance authority for the smooth running of PDS; and

(d) to whom the PDS are directly accountable?